न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 26 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. अजीज पुत्र गफुर वगै. बनाम 1.रहीमबक्स पुत्र मोहम्मदखान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रामस्वरूप भाटी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 06.03.2020

सर्वप्रथम उभयपक्ष को अवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा दिनांक 18.02.2020 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश कर निवेदन किया गया है कि अपील पेश करते समय मानवीय भूल की वजह से डिक्री पर्चा पेश नहीं कर पाये। अपील की सुनवाई प्रक्रियात्मक बिंदु पर नहीं सुनकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाये। जवाब में नियम 46 के तहत न्यायालय के द्वारा अनुज्ञात समय नहीं दिये जाते है तो नामंजूर किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलांट के प्रति नरम रूख अपनाते हुए उक्त दस्तावेज अर्थात डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित है तथा इस प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेजात है जो प्रकरण का निस्तारण करने में भी अहम है इस वजह से न्यायहित में रिकोर्ड पर लेना आवश्यक एवं उचित है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2008(1) Page 301
RRT 2004(1) Page 137

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के जवाब में रेस्पोडेंट ने बताया कि दिनांक 31.08.2016 को निर्णय की प्रति मनोज पारिक ने ली थी तथा उसी निर्णय की नकल को अपीलांट ने पेश की है। 07.02.2017 को अधिवक्ता श्री मनोज पारिक द्वारा नकल ली है। अपने जवाब में राजस्थान राजस्व न्यायालय मैनुअल अंतिम अध्याय नियम 30 के साथ डिक्री जरूरी है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है। इसलिये अपीलांट व अपीलांट अधिवक्ता द्वारा जो आवेदन पत्र दिनांक 18.02.2020 को मय डिक्री प्रस्तुत किया है को खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2017(4) Page 1472
RRD 1979 Page 511

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 पर बहस सुनी गई बहस सुनने एवं प्रार्थना–पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से पाया कि अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 को न्यायाहित में ग्रहण किया जाता है और प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने हेतु रेस्पोडेंट को अनुज्ञात किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अपीलांटगण को कैम्प कोर्ट की जानकारी नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट के हक हकुक संशयप्रद लगे तो हम अपीलांट द्वारा राजस्व अपील संख्या 101/2016 शकूर बनाम अलाबक्स में दिनांक 07.01.2019 को उतरदाता संख्या 2 गफुर पुत्र इस्माईल के वारिश को बतौर अपीलांट प्रतिस्थापित करने का प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.01.2019 को न्यायालय में पेश किया गया उक्त अपील में उतरदाता को अपीलांट के रूप में प्रतिस्थापित करने के प्रार्थना–पत्र के जबाव में नियत थी, दिनांक 11.03.2019 उक्त अपील को अपीलांट शकूर के कायम मुकामों द्वारा मोहम्मदखां के कायम मुकाम से दुरभिसंधि कर अपील को विड्रा कर लिया गया जिस पर सम्यक तत्परता के साथ यह अपील पेश है फिर भी सद्भाविक रूप से कानूनी जानकारी के अभाव में हुऐ विलम्ब को क्षमा करते हुऐ अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामले को लंबा करने हेतु हस्तगत अपील पेश की गई है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान निर्णय की दिनांक से ही था। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलांटगण ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि अराधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निरतारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा 3 वर्ष की सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकले दिनांक 10.07.2017 को ही प्राप्त कर ली

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

थी उसके बाद भी हस्तगत अपील दिनांक 13.03.2019 जो तकरीबन 01 वर्ष 09 माह की सुदीर्घ अवधि के बाद पेश की गई तथा इस अवधि का भी कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2006(2) Page 1246

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 10.07.2017 को ही प्राप्त कर ली थी उसके बाद भी हस्तगत अपील दिनांक 13.03.2019 जो तकरीबन 01 वर्ष 09 माह की सुदीर्घ अवधि के बाद पेश की गई तथा इस अवधि का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 03 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है।

अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है

06/3/20
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/3/20
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner